HINDUSTAN TIMES, Delhi, 22.6.2024
Page No. 21, Size:(4.30)cms X (7.09)cms.

NHRC takes action against anti labour practices

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo moto cognisance of a media report that at one of the warehouses of a multi-national company in Haryana's Manesar, a 24 year old worker was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team's 30 minute tea break had ended. The Commission has issued to the Secretary, Union Ministry of Labour and Employment calling for a detailed report in the matter.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 22.6.2024
Page No. 21, Size:(4.23)cms X (7.12)cms.

NHRC intervenes in delay in cardiac surgery

The National Human Rights Commission, (NHRC) India has taken suo moto cognisance of a media report, that a 6 year old boy from Bihar's Begusarai had been waiting for cardiac issue surgery since 2019 when he was three months old. Doctors at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi have only been providing dates for the surgery on every visit by his family. The Commission has issued notices to notices to the Secretary, Union Ministry of Health & Family Welfare and the Director, (AIIMS), New Delhi.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 22.6.2024
Page No. 21, Size:(4.31)cms X (7.09)cms.

NHRC begins capacity building program

NHRC India is organising a four day Residential Capacity Building Programme for Forest Officers on Human Rights in collaboration with the Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA), in Dehradun from June 18 to 21. Inaugurating it, the NHRC Secretary General, Bharat Lal said that the Commission is partnering with various All India Services (AIS) national academies in developing training modules on various dimensions of human rights to build officers' capacities for protecting and promoting human rights.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 22.6.2024
Page No. 21, Size:(4.41)cms X (7.05)cms.

NHRC takes action against wrong surgery

NHRC India has taken suo moto cognisance of a media report that a patient was wrongly operated upon his left knee, instead of the injured right knee at a hospital in Panipat, Haryana. Reportedly, when the family members of the patient protested, the doctors immediately conducted surgery on the other knee but the patient was unable to walk. The hospital charged a sum of Rs 8,000/- from him and also took away his Ayushman Card. The Commission has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police for a report.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 22.6.2024
Page No. 21, Size:(4.21)cms X (6.18)cms.

NHRC takes suo moto cognisance of the reported death of two workers

The National Human Rights Commission (NHRC), India took suo moto cognisance of a media report from June 13, that two brothers died after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank at a private packaging factory near the village Bazidpur Saboli in the district Sonipat, Haryana. Their third companion from the same village has reportedly survived the accident. The police authorities have sent the bodies of the deceased for post-mortem examination and an FIR has been registered against the factory owner.

HINDU, Delhi, 22.6.2024
Page No. 10, Size:(5.38)cms X (4.59)cms.

Panchayat offers bribe to rape victim, NHRC issues notice

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued notices to authorities in a case where a village panchayat in Baghpat district of Uttar Pradesh asked the mother of a sexual assault victim to take a sum of ₹5,000 from her daughter's tormentors and terminate her pregnancy. The family of the victim, who is a minor, was also threatened at the behest of the harassers. The NHRC said it was painful to note that the panchayat connived with the accused belonging to a dominant section of society, instead of protecting the victim.

DAINIK JAGRAN, Delhi, 22.6.2024
Page No. 1, Size:(5.38)cms X (5.61)cms.

बिहार में युवतियों से यौन शोषण पर मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर: बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में डीबीआर यूनिक नेटवर्किंग कंपनी में काम करने वाली युवतियों के साथ यौन शोषण और मारपीट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने शुक्रवार को बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी से एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने इसमें संचालक और कंपनी के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या, जांच की स्थिति, कार्रवाई, पीड़ित लड़कियों को दी गई राहत, पुनर्वास, उपचार तथा परामर्श सेवाओं के साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उठाए गए उपायों के बारे में भी रिपोर्ट देने को कहा है।

आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कई लड़कियों को कंपनी के संचालक ने नशे की गोलियां खिलाईं। उन्हें पीटा गया तथा शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। ऐसी पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। कंपनी के खिलाफ बिहार के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज हैं।

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 22.6.2024
Page No. 13, Size:(2.92)cms X (8.57)cms.

दुष्कर्म पीड़िता पर गर्भपात का दबाव, मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस

जागरण संवाददाता, बागपत : पंचायत में दुष्कर्म पीड़ित किशोरी को पांच हजार रुपये लेकर गर्भपात कराने और एफआइआर न कराने की हिदायत देने की घटना का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पुलिस अभी तक आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बदनामी व डर से पीड़ित परिवार ने गांव भी छोड़ भी दिया है।

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी ने 11 जून को पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि गत दिसंबर माह में पड़ोसी रोहित गुर्जर ने घर में घुसकर उससे दुष्कर्म किया था। किशोरी ने डर के कारण किसी से वारदात का जिक्र नहीं किया। बाद में भी रोहित ने उसके साथ पांच-छह बार दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। इसके बाद से रोहित की मां व गांव के तीन अन्य व्यक्ति लगातार किशोरी के स्वजन को समझौता करने के लिए धमकी देने लगे।

AMAR UJALA, Delhi, 22.6.2024
Page No. 11, Size:(2.62)cms X (7.02)cms.

दुष्कर्म पीड़िता को पांच हजार देकर गर्भपात कराने के पंचायती फरमान पर एनएचआरसी सख्त

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बागपत के सिंघावली अहीर क्षेत्र में यौन उत्पीड़न की शिकार एक नाबालिग लड़की को पांच हजार रुपये देकर गर्भपात कराने के पंचायत के फरमान को गंभीरता से लिया है। आयोग ने मीडिया में आई रिपोर्ट्स के आधार पर इस मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस देकर एक सप्ताह में पूरे प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग के मुताबिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पंचायत ने नाबालिग की मां से कहा कि वह अपनी बेटी को प्रताड़ित करने वालों से पांच हजार रुपये लेकर उसका गर्भपात करा दे। पीड़ित परिवार को आदेश का पालन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। आयोग ने पाया कि यदि यह सच है तो यह पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह दर्दनाक है कि पंचायत ने नाबालिग लड़की की रक्षा के बजाय समाज बदमाशों के साथ मिलकर एक गैरकानूनी कृत्य किया। ब्यूरो

Bihar: NHRC ने बिहार सरकार को दिया निर्देश, उच्च प्राथमिकता के आधार पर जल्द हो पीड़िता के किडनी का प्रत्यारोपण

https://www.amarujala.com/bihar/muzaffarpur/bihar-news-nhrc-directed-bihar-government-to-get-the-victim-s-kidney-transplanted-on-high-priority-basis-2024-06-21

Sunita Kidney Scandal: मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता डॉ. एसके झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार के उल्लंघन की अति गंभीर श्रेणी का मामला है। इस मामले में बिना विलंब किए बिहार राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करना चाहिए।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित किडनी कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (**NHRC**) ने बिहार सरकार को निर्देश जारी किया है। अपने निर्देश में आयोग ने बिहार सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर ही पीड़िता के किडनी के जल्द ही प्रत्यारोपण और इलाज के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस मामले में अविलंब ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बरियारपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में गर्भाशय के ऑपरेशन के बहाने पीड़िता सुनीता देवी की दोनों किडनियों को निकाल लिया गया था। उसके बाद इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर कथित अस्पताल के संचालक डॉ. पवन कुमार को पकड़ लिया था। आरोपी डॉक्टर को एससी-एसटी कोर्ट ने बीते दिनों सात साल की सजा सुनाई थी और मात्र 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

पूरे मामले को लेकर बिहार के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता डॉ. एसके झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार के उल्लंघन की अति गंभीर श्रेणी का मामला है। इस मामले में बिना विलंब किए बिहार राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करना चाहिए। यानी पीड़ित महिला के किडनी की प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, जिससे पीड़ित महिला की जान बच सके। गौरतलब है कि सुनीता किडनी कांड मामले में सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के विशेष न्यायालय द्वारा दोषी डॉक्टर को सात साल की कैद और केवल 18 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।

EXCLUSIVE: 'Nindha' took me on a rollercoaster ride, says Varun Sandesh

https://thesouthfirst.com/entertainment/nindha-took-me-on-a-rollercoaster-ride-says-varun-sandesh/

The Telugu actor looks back on his two-decade career and tells why one should watch Rajesh Jagannadham's directorial.

'Comeback', 'resurgence', 'makeover', and '2.O' are some of the words that Happy Days (2007) actor Varun Sandesh has been hearing frequently in his public appearances lately. He is back in the limelight for Nindha, helmed and produced by a US return, Rajesh Jagannadham, that releases on Friday, (21 June). Following his conscious decision to drift away from love stories, the film's timing couldn't have been better.

Varun Sandesh's career had a solid start with the dream run of Happy Days and Kotha Bangaru Lokam (2008), but he couldn't quite utilise the early momentum efficiently. While he continued to be a popular actor and film offers kept knocking at his door later, it took him considerable time to regain lost ground. At 34, nearly twice the age at which he entered films, Varun Sandesh appears more sorted.

"I can clearly say that I am in a better state of mind now. I tried to learn and got better at my job. All of us wake up every day to be a better person. I was a kid when my first film was released and it was only natural to be intoxicated by the fame and attention. I was any other teenager who got swayed, attended parties and I admit I was not mature. Many did make an effort to get me back on track."

Varun Sandesh recalls he was in denial mode for a long time in his career. "I'm ready to embrace reality. When I look into the mirror, I'm aware of what I am. The journey has taught me a lot and I'm progressing. If I compare it to cricket, I may have played a few dot balls in the past and I am back with a good film." He's cast as an **NHRC** officer in Nindha, a razor-sharp-crime thriller.

'Nindha, a director's film'

He and Rajesh were to work on a bigger project to be made on a large canvas but dropped it when producers didn't come forward to back it.

"Rajesh came up with a new script and I was gobsmacked that someone could imagine me in such a role. When he spoke of his decision to produce it too, I felt it was a brave move. He's the one-man army for the film and had great confidence in his abilities."

“Though I am starring in a lead role after a long time, I will call Nindha a director’s film. Rajesh deserves complete credit and has delivered a quality product. While my character Vivek investigates complaints registered at the commission, we don’t delve deeply into the backdrop, it’s only an attempt to give a new dimension to the thriller.”

As Vivek, Varun Sandesh in Nindha is entrusted with a case where a villager allegedly rapes a woman and has to dig out uncomfortable truths surrounding the crime and the identity of the accused.

“The story is about how a society is affected when an innocent man loses faith in the system. Many in society are behind bars for crimes they haven’t committed and someone must stand up for them. My character offers them a sense of hope.”

“It was a mature, intense character (for a change), unlike the conventional lover boy roles (that I’ve been offered in the past) where I need to bring a lot of histrionics into play. The kid in me had to take a backseat and I truly enjoyed this realistic space more. I made an effort to express myself through my eyes, playing it subtly. Nindha took me on a rollercoaster ride.”

‘Nindha’s USP is its screenplay’

Varun Sandesh had an injury scare (a ligament tear during the shoot of Constable) before the shoot took off, which he terms a blessing in disguise. “The schedules, and dates were confirmed for Nindha right before my injury and Rajesh returned from the US to shoot for the film. Everyone was ready and I didn’t want to let the team down. I wore a cast and shot for it, maybe the pain and the awkwardness helped my performance.”

Although a handful of films have been made on this premise, Nindha’s USP is its screenplay. “Much like a viewer, I was biting my nails throughout the narration and kept bothering my director with guesses, and questions, and I went wrong every time. Even when Rajesh handed over the script to the team on set, he purposely didn’t give them the last 15 pages and kept them on their toes, channeling their anticipation to extract authentic performances.”

Despite the familiar premise, Nindha will be an impactful film, Varun Sandesh assures. “I believe entertainment is anything that keeps audiences invested in a film. There won’t be any forced humour or romance; it’s a guessing game, packed with suspense that’ll keep you on the edge of your seat. It is a story-driven film where all characters will have equal prominence. The background score (by Santhu Omkar) plays a crucial role in sustaining its momentum.”

While the box office performance of the film may not be in Varun Sandesh's hands, his biggest takeaway from Nindha has been his friendship with its director Rajesh Jagannadham.

"It's hard to make true friends after a certain age, but I'm thrilled to have his back at this phase of my life. I found a big brother in him. He's a man who put everything at stake to pursue his dream; has crazy ideas, and is here to stay for a long time."

Of retrospection and missed opportunities

The fate of the film is crucial for the actor, more so to widen his palette and open him to a plethora of roles. "Recently, I played a role with grey shades for the first time in Michael (with Sundeep Kishan) and got a great kick out of it. Regardless of its box office outcome, Michael (2023) gave me a lot of work and ensured visibility. The scripts that have come to me ever since had more variety."

Varun Sandesh also regrets not taking up Locked (aha's 2020 web show), the first project he was offered after his Bigg Boss Telugu stint. "Back then, I thought it was a crooked, wild character and felt I wasn't in a mental space to take it up. In retrospect though, it feels like a lost opportunity. I could've experienced the same satisfaction from Locked much before Michael. I would've evolved as an actor."

His unplanned 'break' from films after the initial success was necessary at some level, Varun Sandesh believes. "When I was shooting a film titled Mr 420 (2016), I wondered what I was doing with myself. I was frustrated, returned to the US, wanted to give a shot at business, and even planned an alternate career. Films turned out quite different from the narrations and I wasn't a satisfied man. I lost myself and used the time to rediscover my love for the profession again."

Varun Sandesh has two films in the pipeline—an untitled project in an 'out of the box' genre slated to hit screens this August and a cop saga, Constable.

"Nindha could have a sequel too and it depends on the response. The success of a film like this will give a lot of hope to actors like me and directors like Rajesh to tell newer stories, and make this industry a better place," he signs off.

Left Knee Operated Instead Of Right At Panipat Hospital: NHRC Issues Notice To Haryana Govt, DGP

https://medicaldialogues.in/news/health/hospital-diagnostics/left-knee-operated-instead-of-right-at-panipat-hospital-nhrc-issues-notice-to-haryana-govt-dgp-130455

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Haryana Government and Director General of Police (DGP) over a media report that a patient was allegedly operated on his left knee, instead of the injured right knee at a hospital in Panipat. The NHRC observed that the patient was also charged by the hospital despite being a beneficiary of Ayushman - Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY). The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a patient was wrongly operated upon his left knee, instead of the injured right knee at a hospital in Panipat, Haryana. Reportedly, when the family members of the patient protested, the doctors immediately conducted surgery on the other knee but the patient is unable to walk. The hospital charged a sum of Rs 8,000/- from him and also took away his Ayushman Card. The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of medical negligence causing violation of the rights to life and health of the victim. Accordingly, the Commission has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Haryana calling for a detailed report within one week. It should include the action taken against the guilty and compensation, if any, provided to the patient, the NHRC stated.

Issuing the notices, the Commission has observed that according to the media report, the patient was charged by the hospital despite being a beneficiary of Ayushman - Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY). Therefore, the authorities who have failed to do their duty to supervise and keep vigil on such private hospitals cannot escape their liability, where the patients are being exploited and subjected to cruelty as well as being treated in an inhuman manner.

According to the media report, the victim had lost his family in an accident, in the year 2006 and since then, he has been earning his livelihood by working as a labourer. His right knee had been injured when he fell while cleaning his house.

Muzaffarpur kidney case: NHRC का बिहार सरकार को निर्देश, शीघ्र हो सुनीता की किडनी का प्रत्यारोपण

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/muzaffarpur/muzaffarpur-kidney-case-nhrc-directs-bihar-government-sunitas-kidney-transplant-should-be-done-soon

Muzaffarpur kidney case: किडनी कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को निर्देश जारी किया है कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता के किडनी के शीघ्र प्रत्यारोपण किया जाये.

Muzaffarpur kidney case: मुजफ्फरपुर. शहर के चर्चित किडनी कांड मामले में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने बिहार सरकार को निर्देश जारी किया है. अपने निर्देश में आयोग ने बिहार सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता के किडनी के शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया है. यह निर्देश मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा जारी किया गया है. नर्सिंग होम संचालक सकरा के बरियारपुर निवासी डॉ.पवन को एससी/एसटी कोर्ट के जज ने बीते 7 जून को दोषी करार दिया था.

आयोग ने बताया अतिगंभीर श्रेणी का मामला

मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का मामला है, इस मामले में बिना विलम्ब किये हुए बिहार सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला के किडनी प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, जिससे पीड़ित महिला की जान बच सके. एसकेएमसीएच में भर्ती पीड़िता सुनीता ने कहा कि दोषी को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी. सुनीता ने मामले में फरार अन्य आरोपित डॉक्टर आरके सिंह को फांसी की सजा देने की मांग की.

डॉक्टर को मिल चुकी है सात साल की सजा

मुजफ्फरपुर के चर्चित सुनीता किडनी कांड के दोषी नर्सिंग होम संचालक डॉ. पवन कुमार को विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने बुधवार को सात साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी डॉ. पवन पर 18 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. सकरा स्थित शुभकांत नर्सिंग होम में तीन सितम्बर, 2022 को सुनीता के गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान उसकी दोनों किडनी निकाल ली गई थी. सुनीता की मां तेतरी देवी के आवेदन पर 9 सितंबर, 2022 को एफआईआर दर्ज हुई तब से सुनीता डायलासिस पर जिंदा है.

NHRC issues notice in case of village panchayat asking minor rape victim's kin to accept ₹5,000 to end her pregnancy

https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-issues-notice-in-case-of-village-panchayat-asking-minor-rape-victims-kin-to-accept-5000-to-end-her-pregnancy/article68316536.ece

The notices were issued to the U.P. Chief Secretary and Director General of Police calling for a detailed report within one week

Pcial Arrangement

The National Human Rights Commission (NHRC) on June 21 issued notice to authorities in Uttar Pradesh in a case of a village panchayat in Baghpat district that had asked the mother of a sexual assault victim to take a sum of ₹5,000 from her daughter's tormentors and terminate her pregnancy. The family of the victim, who is a minor, was also threatened at the behest of the harassers.

The NHRC said it is painful to note that the village panchayat connived in an unlawful act with the tormentors belonging to a dominant section of society, instead of protecting the girl.

In light of the incident, notices have been issued to the Uttar Pradesh Chief Secretary and the Director General of Police (DGP) calling for a detailed report within one week.

"The report is expected to include the status of the FIR and action taken against the guilty along with the victim's health condition and compensation if any, provided to her by the authorities concerned," the NHRC said.

According to reports, the family of the victim had complained to the police stating that a person from the same village had forcibly entered their house and subjected her to rape in December 2023. When the family tried to register the complaint, the mother, brother and sister of the victim were all threatened that they would be killed.

Afterwards, the accused took turns to rape the victim five to six times resulting in her pregnancy. When the victim's family attempted to lodge a police complaint, they were stopped and forced to attend the panchayat, where an offer of ₹5,000 was reportedly given to the family.

TELEGRAPH, Online, 22.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC lens on Uttar Pradesh panchayat over Rs 5,000 'offer' to minor victim of sexual assault

https://www.telegraphindia.com/india/nhrc-lens-on-uttar-pradesh-panchayat-over-rs-5000-offer-to-minor-victim-of-sexual-assault/cid/2028789

Reportedly, the criminals also issued life threats to the family if they did not adhere to their diktat. The National Human Rights Commission (NHRC) observed that the contents of the report, if true, amount to a grave violation of the victim's human rights

The NHRC has taken suo motu cognisance of a media report that a panchayat in the Baghpatdistrict of Uttar Pradesh asked the mother of a minor victim of sexual assault to take ₹5,000 from her daughter's tormentors and terminate her pregnancy.

Reportedly, the criminals also issued life threats to the family if they did not adhere to their diktat. The National Human Rights Commission (NHRC) observed that the contents of the report, if true, amount to a grave violation of the victim's human rights.

"Going by the media report, it is indeed painful to note that the village panchayat, instead of protecting the minor girl, connived in an unlawful act with the miscreants belonging to a resourceful section of society," NHRC spokesperson Jaimini Kumar Srivastava said in a press release.

Notices have been issued to the chief secretary and thedirector-general of police, Uttar Pradesh, seeking a detailed report in a week. The report is expected to include the status of the FIR and action taken against the guilty, along with the victim's health condition and compensation, if any, provided to her by the authorities concerned, therelease said.

According to the report carried on June 19, the family complained to the police stating that in December 2023, a person from the village forcibly entered their house and raped the minor.

When the family tried to complain, the accused threatened to kill the minor's mother, brother and sister. The criminal then raped the girl five to six times leading to her pregnancy. When the family tried to lodge a complaint, they were forced to attend the panchayat, where ₹5,000 was reportedly offered to them.

NHRC notice to Bihar govt DGP over 'sexual exploitation' of women workers in Muzaffarpur firm

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2024/06/21/des62-nhrc-bihar-women.html

New Delhi, Jun 21 (PTI) The NHRC has sent notices to the Bihar government and the state's police chief over a report that a number of women working in a private network company in Muzaffarpur district were given intoxicating pills and forced to have a physical relation by the operator of the firm.

Reportedly, the number of such victimised girls is stated to be more than one hundred, the National Human Rights Commission said in a statement.

The NHRC said it has taken "suo motu cognisance of a media report that a number of women working in a private network company in Bihar's Muzaffarpur district were given intoxicating pills, beaten, and forced to make physical relation by the operator of the company".

A large number of "criminal cases" are allegedly registered in various districts of Bihar against the company, but the police has "not taken any strict action" in this matter. The company has its branches at many places in Bihar, Uttar Pradesh, and Nepal, it said.

"According to the media report, carried on June 18, the girls are being physically and mentally exploited in more than 10 districts of Bihar including Muzaffarpur, Supaul, East Champaran, West Champaran, Saran, Siwan, Gopalganj," the statement said.

Reportedly, the operator of the networking company has allegedly a "history of involvement in criminal activities", it said. He takes girls to Nepal in the name of providing training, where they are "physically exploited and if they protest, they are mercilessly beaten up", it added.

The Commission has observed that the content of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violation. Accordingly, it has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Bihar, seeking a detailed report within one week.

The report sought from the state government is to include the number of criminal cases registered against the operator and the networking company, mentioned in the news report, the status of their investigation, and action taken by the police and civic authorities against the perpetrators, the statement said.

The Commission would also like to know about relief and rehabilitation as well as medical treatment and counselling services provided by the authorities to the victim girls as well as steps taken or proposed to be taken to ensure that such incidents do not recur in the future, it added.

NHRC notice to Haryana government, DGP

https://www.thehansindia.com/news/national/nhrc-notice-to-haryana-government-dgp-886283

The NHRC has sent notices to the Haryana government and the state's police chief over reports that two brothers died allegedly after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank at a private packaging factory in Sonipat district. New Delhi : The NHRC has sent notices to the Haryana government and the state's police chief over reports that two brothers died allegedly after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank at a private packaging factory in Sonipat district. The "negligence" of the factory owner and the local authorities is apparent, as reportedly, the workers were "not provided any safety gear" while cleaning the septic tank, the National Human Rights Commission said in a statement. The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report, carried on June 13, 2024, that two brothers died after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank at a private packaging factory near the village Bazidpur Saboli in the district Sonipat, Haryana".

Their third companion from the same village has reportedly survived the accident, it said. The police authorities have sent the bodies of the deceased for post-mortem examination and an FIR has been registered against the factory owner, the statement said. The Commission has observed that the content of the news report, if true, raises a serious issue of violation of human rights.

"The negligence of the factory owner and the local authorities is apparent, as reportedly, the workers were not provided any safety gear while cleaning the septic tank. "This even though the Commission has been reiterating the implementation of its advisory dated 24.9.2021 and guidelines of the apex court to end manual hazardous cleaning by using machines and providing safety equipment to the workers," the statement said

Accordingly, the Commission has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Haryana, seeking a detailed report in one week including the status of the FIR registered, action taken against persons responsible as well as relief and rehabilitation provided to the next of kin of the deceased workers by the authorities, it said. Issuing the notices, the Commission has drawn the attention of the authorities concerned in its advisory on the Protection of Human Rights of the Person Engaged in Manual Scavenging or Hazardous Cleaning.

It is mentioned that in case of the death of any sanitary worker, while undertaking hazardous cleaning work, the local authority and the contractor or employer are to be held responsible and accountable, jointly and severally, irrespective of the type of hiring/engagement of the sanitary worker, the statement said. "Apart from this, the decision is given by the Supreme Court, Dr. Balram Singh vs Union of India (WP(C) No. 324 of 2020) dated 20.10.2023, provides the specific mandate that it is the duty of the local authorities and other agencies to use modern technology to clean sewers," it added.

NHRC notice to UP govt on sexual assault of minor girl

https://www.msn.com/en-in/news/India/nhrc-notice-to-up-govt-on-sexual-assault-of-minor-girl/ar-BB1oEMeF

The National Human Rights Commission on Friday served a notice to the Uttar Pradesh government after taking suo motu cognizance of a media report that a panchayat asked the mother of a minor sexual assault victim to accept money from her daughter's tormentors and terminate her pregnancy in Singhaoli Ahir area of Baghpat district.

Commission's notices have been issued to the UP Chief Secretary and the Director General of Police, calling for a detailed report within one week, a statement by NHRC on Friday said.

Commission said reportedly, life threats were also given to the aggrieved family at the behest of the miscreants, if they did not adhere to their diktat.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a grave violation of the victim's human rights. Going by the media report, it is indeed painful to note that the village Panchayat instead of protecting the minor girl connived in an unlawful act with the miscreants belonging to a resourceful section of society.

The UP government report is expected to include the status of the FIR and action taken against the guilty along with the victim's health condition and compensation if any, provided to her by the authorities concerned, the Commission said.

As per the media report, carried on June 19, the family of the victim has complained to the police stating that one person from the same village had forcefully entered their house and subjected her to rape in December, 2023.

When the family tried to complain, life threats were given to the mother, brother and sister of the victim girl. After that, the miscreant sexually assaulted the minor.

When the victim's family attempted to lodge a police complaint, they were stopped and forced to attend the Panchayat, where an offer of Rs 5,000 was reportedly given to the family.

STATESMAN, Online, 22.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC notice to UP govt on sexual assault of minor girl

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-notice-to-up-govt-on-sexual-assault-of-minor-girl-1503312461.html

The Commission has asked for a detailed report within one week, a statement by NHRC on said.

The National Human Rights Commission on Friday served a notice to the Uttar Pradesh government after taking suo motu cognizance of a media report that a panchayat asked the mother of a minor sexual assault victim to accept money from her daughter's tormentors and terminate her pregnancy in Singhaoli Ahir area of Baghpat district.

Commission's notices have been issued to the UP Chief Secretary and the Director General of Police, calling for a detailed report within one week, a statement by NHRC on Friday said.

Commission said reportedly, life threats were also given to the aggrieved family at the behest of the miscreants, if they did not adhere to their diktat.The Commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to a grave violation of the victim's human rights. Going by the media report, it is indeed painful to note that the village Panchayat instead of protecting the minor girl connived in an unlawful act with the miscreants belonging to a resourceful section of society.

The UP government report is expected to include the status of the FIR and action taken against the guilty along with the victim's health condition and compensation if any, provided to her by the authorities concerned, the Commission said.

As per the media report, carried on June 19, the family of the victim has complained to the police stating that one person from the same village had forcefully entered their house and subjected her to rape in December, 2023.

When the family tried to complain, life threats were given to the mother, brother and sister of the victim girl. After that, the miscreant sexually assaulted the minor.

When the victim's family attempted to lodge a police complaint, they were stopped and forced to attend the Panchayat, where an offer of Rs 5,000 was reportedly given to the family.

NHRC notices to UP govt DGP over panchayat's order to accept bribe in minor's rape case

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2024/06/21/des63-nhrc-up-rape-victim.html

New Delhi, Jun 21 (PTI) The NHRC has issued notices to the Uttar Pradesh government and the state's police chief over reports of a village panchayat asking the mother of a rape victim to take Rs 5,000 from the accused and terminate her minor daughter's pregnancy.

Reportedly, threats were also allegedly given to the aggrieved family at the behest of the miscreants, if they did not adhere to the panchayat's diktat, the National Human Rights Commission (NHRC) said in a statement on Friday.

The NHRC said it has "taken suo motu cognisance of a media report, published on June 19, that a village panchayat asked the mother of a minor girl victim of sexual assault to take a sum of Rs 5,000 from her daughter's tormentors and terminate her pregnancy" in Baghpat district.

The commission has observed that the content of the media report, if true, amount to a grave violation of the victim's human rights.

Going by the media report, it is indeed painful to note that the village panchayat instead of protecting the minor girl "connived in an unlawful act" with the miscreants belonging to a resourceful section of the society, the statement said.

Accordingly, notices have been issued to the chief secretary and the director general of police of Uttar Pradesh, seeking a detailed report within one week, the NHRC said.

The report should include the status of the FIR and action taken against the guilty along with the victim's health condition and compensation if any, provided to her by the authorities concerned, it added.

According to the media report, the victim's family had complained to the police that a person from the same village had, in December 2023, allegedly forcefully entered their house and raped the girl, the statement said.

"When the family tried to complain, life threats were given to the mother, brother and sister of the victim girl," the commission said.

After this, the accused allegedly raped the girl for five to six times, resulting in her pregnancy. When the victim's family tried to lodge a police complaint, they were stopped and forced to approach the panchayat, where an offer of Rs 5,000 was reportedly given to the family, it added.

NHRC Officials Practice Yoga for International Day

https://theprint.in/india/nhrc-officials-practice-yoga-for-international-day/2141464/

Senior officers and staff join in to promote health and well-being.

New Delhi: To mark the International Yoga Day, a senior officer of the National Human Rights Commission (NHRC) and other officials participated in the performance of Yoga on the premises of the Commission, a NHRC media report stated.

NHRC, India Acting Chairperson, Smt Vijaya Bharathi Sayani, asled the senior officers and staff of the Commission in performing Yoga on the occasion of International Yoga Day. Earlier, she addressed them, saying that Yoga is a 'Sanatan' Indian tradition, which has a scientific basis for ensuring good health and happiness of individuals and society. Yoga should be practiced everyday not only for one's own good but also for the universal peace. The United Nation had decided to observe the International Yoga Day on June 21 every year. This day is also the longest day for the Sun's journey from east to west, which gives it its maximum energy for life on the Earth.

The significance of this day is not only to promote peace and harmony but also to improve the health and well-being of people all over the world. NHRC, India is committed to promoting the health and well-being of its people through yoga.

NHRC Probes Shocking Exploitation of Women in Bihar

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2991239-nhrc-probes-shocking-exploitation-of-women-in-bihar

The NHRC has issued notices to the Bihar government and its police chief following reports of over a hundred women being drugged and exploited by a private network company in Muzaffarpur. The commission seeks detailed reports on the criminal cases and actions taken, including relief measures and future prevention strategies.

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued urgent notices to the Bihar government and the state's police chief in response to alarming reports of large-scale exploitation of women in Muzaffarpur district. Over one hundred women working in a private network company were reportedly drugged and forced into physical relations by the company's operator.

The NHRC took suo motu cognisance of media reports highlighting how these women were not only drugged but also beaten and coerced. The abuses allegedly extend across more than 10 districts in Bihar, including Muzaffarpur, Supaul, and East Champaran, among others.

The NHRC has demanded a detailed report from the state's chief secretary and the director general of police. The report should include the number of criminal cases filed, the status of investigations, and steps taken for victims' relief and rehabilitation. The Commission stressed the need for immediate action to prevent such human rights violations in the future.

NHRC Probes Village Panchayat's Shocking Settlement in Minor's Rape Case

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2991270-nhrc-probes-village-panchayats-shocking-settlement-in-minors-rape-case

The NHRC has issued notices to the Uttar Pradesh government and police chief over reports that a village panchayat advised the mother of a rape victim to accept Rs 5,000 from the accused and terminate her minor daughter's pregnancy. Threats were reportedly issued to the family by the miscreants.

The National Human Rights Commission (NHRC) has raised serious concerns, issuing notices to the Uttar Pradesh government and the state's police chief following alarming reports. A village panchayat allegedly advised the mother of a minor rape victim to accept Rs 5,000 from the accused and terminate her daughter's pregnancy.

According to media reports, the aggrieved family received threats from the miscreants if they did not comply with the panchayat's instructions. The NHRC emphasized that these actions, if substantiated, represent a grievous violation of human rights.

The NHRC has demanded a comprehensive report, including FIR status, actions against the accused, and the current health condition and compensation for the victim, within one week. The horrifying incident reportedly dates back to December 2023.

Sonbhadra News : फ्लोरोसिस विकलांगता पर एनएचआरसी ने डीएम को दिया कार्रवाई का आदेश

https://janpadnewslive.com/2024/06/14/42579/

म्योरपुर । आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने म्योरपुर ब्लॉक अंतर्गत विभिन्न गांवों में फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक व अत्यधिक आयरन युक्त प्रदूषित पानी पीने से विकलांगता और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होकर अकाल मृत्यु होने के मामले में प्रशासनिक लापरवाही का मुद्दा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित पत्र के माध्यम से उठाया था। जिसे संज्ञान में लेते हुए केस संख्या 11051/24/69/2024 दर्ज कर **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के सेक्शन ऑफिसर पंकज कुमार केसान ने जिलाधिकारी सोनभद्र को 8 सप्ताह में उचित कार्रवाई करने और कृत कार्यवाही से शिकायतकर्ता को अवगत कराने का आदेश दिया है।

आइपीएफ के जिला संयोजक और शिकायतकर्ता कृपा शंकर पनिका ने एनएचआरसी को प्रेषित पत्र में संज्ञान में लाया गया था कि म्योरपुर ब्लॉक में हालत बहुत बुरी है। पेयजल संकट गंभीर है और लोग आज भी बरसाती नालों, कच्चे कुओं, चुआड और रिहंद बांध के पानी को पीने के लिए मजबूर है। आए दिन इससे लोगों की मौतें हो रही हैं और डडियरा, रासपहरी, कुसम्हा, आश्रम जैसे तमाम में फ्लोरोसिस के कारण लोग विकलांग हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में आइपीएफ की टीम को डडियारा गांव के किए दौरें में एक ही परिवार के तीन सदस्य सगे भाई कपिल देव यादव 34 साल, किशुन देव यादव 31 साल पुत्र धर्मराज एवं उनकी मां मोहनी के फ्लोरोरिसिस के कारण विकलांग होने और इसी गांव की 13 वर्षीय बच्ची खुशबू पुत्री हुकुमचंद की आंखों की 80 फ़ीसद रोशनी जाने का मामला पता चला। जिस पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

आइपीएफ जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका ने बताया कि पूर्व में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप पर प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ प्लांट लगे और फ्लोरोसिस प्रभावित गांवों में हैंडपंपों के साथ वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए। लेकिन आज ज्यादातर आरओ प्लांट और फिल्टर प्लांट खराब पड़े हुए हैं। जिला प्रशासन, जल निगम और उत्तर प्रदेश शासन से बार-बार अनुरोध करने और प्रमुख अखबारों में खबरें प्रकाशित होने के बावजूद इनकी मरम्मत नहीं कराई गई। यहां तक कि आइपीएफ की शिकायत पर गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी है माना है कि फ्लोरोसिस रिमूवल के लिए हैंडपंपों में लगे हुए प्लांट खराब पड़े हुए हैं, जिसके कारण लोगों को प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है। कहा कि लोगों के विकलांग होने की जो हालत और अकाल मृत्यु की स्थिति पैदा हुई है यह जिला प्रशासन की प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। आगे कहा कि यह क्षेत्र आदिवासी व वनाश्रित बाहुल्य है। ग्रामीण इलाकों में बहुतायत आबादी गरीब है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हैं और सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानक के अनुसार विशेषज्ञ डाक्टर व ईसीजी, एक्स रे, अल्ट्रासाउंड, प्रमुख पैथोलॉजी जांचें आदि का भी अभाव है। परिणामस्वरूप गंभीर रूप से बीमारी की स्थिति में तमाम लोगों की इलाज के अभाव में मौतें भी होती हैं। ऐसे में अब एनएचआरसी के हस्तक्षेप के बाद जिला प्रशासन को खराब पड़े आरओ प्लांट और फ्लोरोसिस रिमूवल प्लांट को तत्काल प्रभाव से ठीक कराना चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए और आम आदमी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए।

Street vendor case: NHRC seeks action taken report

https://timesofindia.indiatimes.com/city/vadodara/nhrc-seeks-action-taken-report-on-street-vendor-case/articleshow/111151632.cms

Vadodara: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action taken report from the city police regarding the incident in which cops had beaten up a street vendor in the railway station area of the city. The vendor subsequently died.

Mohammed Faizan Sheikh (26) was assaulted by three policemen who were asking roadside eateries to close down in Sayajigunj area on May 1. The policemen entered into an argument with Sheikh who sells egg dishes on a handcart. The confrontation led to a scuffle and Sheikh was allegedly beaten up.

When a crowd gathered at the site, the policemen allegedly tried to escape in their patrol vehicle. Sheikh stood in front of the vehicle to stop them, but the policemen allegedly dashed Sheikh with the vehicle. Sheikh sustained severe injuries and the cops were booked for attempt to murder. Sheikh was also accused of assault and interfering in a government servant’s duty. Sheikh remained admitted at a private hospital where he died on June 1.

The complaint was made to the NHRC by Faizan’s brother Mohammed Mumtaz Sheikh on May 24 before Faizan’s death. The city police had arrested all the three policemen soon after the incident. The accused were in judicial custody when Faizan died. After the death, provisions pertaining to murder were added to the case.

We also published the following articles recently

IIT Kharagpur student death: Faizan Ahmed's mother alleges planned murder, seeks justiceIIT Kharagpur student Faizan Ahmed's death is alleged to be a planned murder by his mother Rehana Ahmed, who claims the institution is covering up the crime with gunshot and stab wounds found on his body during a second post mortem.111029629

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to visit India for bilateral talksBangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to visit India on June 21-22, 2024, for bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi. The visit aims to strengthen ties between the two countries.111140299

Bangladesh PM Sheikh Hasina to pay two-day state visit to IndiaPM Sheikh Hasina to visit India on 21-22 June 2024 at PM Modi's invitation, marking the first bilateral State Visit post-18th Lok Sabha elections.111141775

UP: दुष्कर्म पीड़िता को 5 हजार देकर गर्भपात कराने के पंचायती फरमान पर एनएचआरसी सख्त, मांगी रिपोर्ट

https://www.amarujala.com/lucknow/up-nhrc-asks-report-on-panchayat-decision-on-rape-victim-2024-06-21

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पंचायत ने नाबालिग की मां से कहा कि वह अपनी बेटी को प्रताड़ित करने वालों से पांच हजार रुपये लेकर उसका गर्भपात करा दे। पीड़ित परिवार को आदेश का पालन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बागपत के सिंघावली अहीर क्षेत्र में यौन उत्पीड़न की शिकार एक नाबालिग लड़की को पांच हजार रुपये देकर गर्भपात कराने के पंचायत के फरमान को गंभीरता से लिया है। आयोग ने मीडिया में आई रिपोर्ट्स के आधार पर इस मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस देकर एक सप्ताह में पूरे प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

आयोग के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पंचायत ने नाबालिग की मां से कहा कि वह अपनी बेटी को प्रताड़ित करने वालों से पांच हजार रुपये लेकर उसका गर्भपात करा दे। पीड़ित परिवार को आदेश का पालन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। आयोग ने पाया कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो यह पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह वास्तव में दर्दनाक है कि ग्राम पंचायत ने नाबालिग लड़की की रक्षा करने के बजाय समाज के एक साधन संपन्न वर्ग के बदमाशों के साथ मिलकर एक गैरकानूनी कृत्य किया।

आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट में एफआईआर की स्थिति और दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ-साथ पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति और उसे दिए गए मुआवजे के बारे में भी जानकारी मांगी है। बता दें कि पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसके गांव का एक व्यक्ति ने दिसंबर, 2023 में जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था।

शिकायत करने पर उसकी मां, भाई और बहन को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गयी। जब पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, तो उन्हें रोक दिया गया और पंचायत में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।

आयुष्मान के तहत गलत घुटने की हुई सर्जरी, मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस

https://lalluram.com/wrong-knee-surgery-done-under-ayushman-notice-to-chief-secretary-and-dgp/#goog_rewarded

चंडीगढ़. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने हरियाणा के पानीपत स्थित एक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के जरीये मरीज के दाहिने घुटने की जगह उसके बाएं घुटने की गलत सर्जरी करने की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है.

बताया जा रहा है कि जब मरीज के परिजनों ने इसका विरोध किया तो डॉक्टरों ने तुरंत दूसरे घुटने की सर्जरी कर दी, लेकिन मरीज चलने में असमर्थ है. अस्पताल ने मरीज से 8,000 रुपए वसूले और उसका आयुष्मान कार्ड भी छीन लिया. आयोग ने पाया है कि यदि रिपोर्ट की सामग्री सही है तो यह चिकित्सकीय लापरवाही के गंभीर मुद्दे को जन्म देती है, जिससे पीड़ित के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकारों का उल्लंघन होता है.

तदनुसार, आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसमें दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मरीज को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होना चाहिए. नोटिस जारी करते हुए आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का लाभार्थी होने के बावजूद अस्पताल ने मरीज से पैसे वसूले. इसलिए, जो अधिकारी ऐसे निजी अस्पतालों की निगरानी और निगरानी करने के अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे हैं, वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, जहां मरीजों का शोषण किया जा रहा है और उनके साथ क्रूरता के साथ- साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जा रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, – पीड़ित ने वर्ष 2006 में एक दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था और तब से वह मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहा है. अपने घर की सफाई करते समय गिरने से उसके दाहिने घुटने में चोट लग गई थी.

बलात्कार मामले में पंचायत के आदेश को लेकर उप्र सरकार, डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस

https://hindi.theprint.in/india/%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%AF/700030/

नयी दिल्ली, 21 जून (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उन खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत ने बलात्कार पीड़िता की मां से कहा है कि वह आरोपी से पांच हजार रुपये ले और अपनी नाबालिग बेटी का गर्भपात कराए।

आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पंचायत के आदेश का पालन न करने की सूरत में कथित तौर पर आरोपी के इशारे पर पीड़ित परिवार को धमकी भी दी गई।

एनएचआरसी ने कहा कि उसने 19 जून को मीडिया में आई खबर का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि बागपत जिले में एक ग्राम पंचायत ने यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग लड़की की मां से कहा है कि वह आरोपी से 5,000 रुपये लेकर बेटी का गर्भपात कराए।

आयोग ने कहा है कि यदि खबर सही है तो यह पीड़ित के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।

बयान में कहा गया कि खबरों के अनुसार पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसी गांव का एक व्यक्ति दिसंबर 2023 में कथित तौर पर जबरदस्ती उनके घर में घुस आया और लड़की से बलात्कार किया।

मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा दाहिने की बजाय बाएं घुटने के ऑपरेशन का मामला, हरियाणा सरकार व राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी - Panipat Hospital negligence

https://www.etvbharat.com/hi/!state/human-rights-commission-action-on-panipat-hospital-negligence-hrs24062103893

Panipat Hospital Negligence: पानीपत में ऑस्कर अस्पताल की बड़ी लापरवाही में अब मानवाधिकार ने कड़ा संज्ञान लिया है. मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार तथा राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

पानीपत: हरियाणा के पानीपत में निजी अस्पताल द्वारा बरती गई बड़ी लापरवाही का मामला मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया है. आयोग ने कहा कि यदि खबर में सच्चाई है, तो इससे चिकित्सा लापरवाही के कारण पीड़ित के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकारों की उल्लंघना जैसे गंभीर मुद्दे उठते हैं. आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को मामले संबंधी नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब करने को कहा है.

'अधिकारी जवाबदेही से नहीं बच सकते': नोटिस में बताने को कहा गया है कि अपराधियों के प्रति क्या कार्रवाई की गई और मरीज को मुआवजा दिया गया है या नहीं. NHRC ने कहा कि ऐसे निजी अस्पतालों जहां मरीजों का शोषण किया जाता है, या मरीजों के साथ क्रूर व्यवहार और अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उन पर नजर रखने के अपने दायित्व को निभाने में विफल रहने वाले अधिकारी जवाबदेही से बच नहीं सकते.

'अधिकारियों पर लिया जाएगा कड़ा एक्शन': हरियाणा के पानीपत के एक अस्पताल में मरीज के दाहिने घुटने की बजाय कथित तौर पर बायें घुटने का ऑपरेशन किए जाने की खबरों पर **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने प्रदेश सरकार और राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा कि खबरों के मुताबिक, अस्पताल ने आयुष्मान-भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी होने के बावजूद भी मरीज से शुल्क वसूला. आयोग ने इस खबर का संज्ञान लिया कि पानीपत में एक अस्पताल में मरीज के चोटिल दाहिने घुटने की बजाय उसके बाएं घुटने का कथित रूप से ऑपरेशन कर दिया.

पीड़ित ने बयां कि दर्द: वहीं, पीड़ित रणवीर ने बताया कि वह पानीपत में गांव वैसर का रहने वाला है. वह राजमिस्त्री का कार्य करता था. वह घर में काम करते समय गिर गया था. जिससे उसके दाहिने घुटने में गंभीर चोट लग गई थी. जिसकी वजह से उसे चलने-फिरने में भी परेशानी आती थी. कई डॉक्टरों से घुटने की जांच करवाई थी. उन्होंने घुटने के ऑपरेशन की बात कही थी. इसी दौरान उसका एक जानकार मनोज निवासी गांव शेरा, जोकि एंबुलेंस चालक है. वह उससे मिला. जिसने उसे कहा कि उसकी ऑस्कर अस्पताल में काफी अच्छी जान-पहचान है. वह उसे 13 मई 2024 को अस्पताल लेकर चला गया.

अस्पताल प्रशासन ने मानी अपनी गलती: डॉक्टर हर्ष व विवेक पांडे ने रणवीर की जांच की और दाएं पैर के घुटने के ऑपरेशन के लिए कहा. 13 मई को उसे वहीं पर भर्ती कर लिया गया. 14 मई की रात को उसका ऑपरेशन किया गया. जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका दाहिना पैर तो ऐसे ही था. जबकि बाएं पैर के घुटने का ऑपरेशन कर दिया. ये देख कर उसके परिजन भी दंग रह गए. जिसके बाद

डॉक्टर को ऑपरेशन गलत होने की बात बताई. जिस पर खुद डॉक्टर हैरान रह गए और मौके पर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली.

'अस्पताल प्रशासन ने खर्च उठाने का दिया था आश्वासन': साथ ही डॉक्टर ने कहा कि वे दाहिने घुटने का भी ऑपरेशन कर देंगे. परिजनों ने पूछा कि अब इसका खर्च कौन उठाएगा. तो डॉक्टर ने कहा कि वे खर्च कि चिंता न करें. जो भी खर्च होगा, वे खुद से भर देंगे. साथ ही कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो उसे घर बैठे पूरा खर्च दिया जाएगा. इसके तुरंत 1 घंटे बाद उसके दाएं पैर का भी ऑपरेशन कर दिया. इसके बाद 5 मई को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी. अब वह न तो चल पाता है और न कोई काम कर पाता है.

'पीड़ित का परिवार हादसे में हो चुका है खत्म': पीड़ित रणबीर ने बताया कि 23 जनवरी 2006 में एक हादसे में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था. अस्पताल ने जब आश्वासन दिया तो वह अस्पताल से चला गया था. जिसके बाद अस्पताल से कोई नहीं आया और न ही उसकी दवा का खर्च तो भूखे रहने की नौबत आ गई. जिसके चलते उसने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. हालांकि मामला दबाने की नीयत से अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया था कि उसका पूरा खर्च वही उठाएंगे. जब वह उसके घर पर देख-रेख करने तक नहीं पहुंचे इसके बाद पीड़ित ने अपनी शिकायत दी है.

मानवाधिकार आयोग ने बिहार पुलिस पर खड़े किए सवाल, कहा- मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले में नहीं की कार्रवाई, मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब

https://news4nation.com/news/human-rights-commission-raised-questions-on-bihar-police-said-no-action-was-taken-in-muzaffarpur-sexual-abuse-case-791802

MUZAFFARPUR : मुजफ्फरपुर के नेटवर्किंग कंपनी डीबीआर में युवतियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले बिहार पुलिस और सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। मामले में जिस तरह की खबर मीडिया में सामने आई है, उसके बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस पूरे मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। शुक्रवार को बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी से एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद आयोग ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि नेटवर्क कंपनी में काम करने वाली कई महिलाओं को कंपनी के संचालक ने नशीली गोलियां खिलाई, उन्हें पीटा गया तथा शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। ऐसी पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से अधिक बताई जा रही है। कंपनी के खिलाफ बिहार के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने इन मामलों में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है।

अगर समाचार रिपोर्ट सही है तो...'

आयोग ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट यदि सही है तो मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव एवं डीजीपी एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। इसमें रिपोर्ट में उल्लिखित संचालक और नेटवर्किंग कंपनी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या, उनकी जांच की स्थिति तथा अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई शामिल हो।

इसके साथ ही आयोग ने पीड़ित लड़कियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास के साथ-साथ उपचार तथा परामर्श सेवाओं के साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में भी रिपोर्ट देने को कहा है।
यह है पूरा मामला
सारण की एक युवती ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें कहा गया था कि पहले अच्छी सैलरी देने के नामपर कंपनी में ज्वाइन कराया गया। इसके बाद झूठी शादी कर शारीरिक संबंध बनाए। इसका वीडियो बनाकर लगातार यौन शोषण किया गया।
पीड़िता ने यह भी बताया था कि टारगेट पूरा नहीं करने पर उसके साथ मारपीट की गई। युवती ने आरोप लगाया कि ऐसा बड़ी संख्या में काम करने वाली लड़कियों के साथ किया गया। अहियापुर थाना द्वारा मामले की प्राथमिकी के बाद कार्रवाई नहीं करने पर यह परिवाद दायर किया गया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस सक्रिय हुई।

पुलिस की अबतक की गई कार्रवाई

कंपनी के निदेशक वर्तमान में यूपी के नोएडा में सेक्टर-दो के सी 68 में रह रहे मूलरूप से गोपालगंज जिला के करारिया थाना के करारिया गांव मनीष कुमार समेत नौ लोगों को आरोपित किया। इसमें पूर्वी चंपारण जिला के रामगढ़वा थाना के बेला गांव एनामुल अंसारी, सिवान जिला के मैरवा थाना के कोडरा गांव के तिलक कुमार सिंह, पूर्णिया जिला के बाड़ा रहुआ गांव के अहमद रजा, वैशाली जिला के हाजीपुर सदर थाना के दिग्घी के विजय कुशवाहा, सिवान जिला के सियाडी के सियरी गांव के कन्हैया कुशवाहा, मैरवा थाना के मैदनियां गांव के हृदयानंद सिंह, गोपालगंज जिला के फुलवरिया गांव के लौध गांव के हरेराम कुमार राम व सुपौल जिला के लौध गांव का मो.इरफान शामिल हैं।

इनमें से तिलक कुमार सिंह को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं जांच में एक और नाम सामने आने के बाद अजय कुमार को बलिया से पकड़ा गया। पुलिस एसआइटी गठित कर विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। निदेशक मनीष कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

बता दें कि कंपनी ने अपनी शाखाएं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल में कई जगहों पर खोल रखी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज समेत 10 से ज्यादा जिलों में लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर किडनी कांड: NHRC ने कहा - प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र हो सुनीता की किडनी का प्रत्यारोपण

https://www.livehindustan.com/bihar/muzaffarpur/story-muzaffarpur-kidney-scandal-nhrc-order-sunitas-kidney-should-be-transplanted-on-priority-basis-10275994.html

राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता के किडनी के शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। कांड का आरोपी जेल में है।

मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को निर्देश जारी किया है। अपने निर्देश में आयोग ने बिहार सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता के किडनी के शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा जारी किया गया है।

मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का मामला है, इस मामले में बिना विलम्ब किये हुए

बिहार सरकार को राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला के किडनी प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, जिससे पीड़ित महिला की जान बच सके। मुजफ्फरपुर के चर्चित सुनीता किडनी कांड के दोषी नर्सिंग होम संचालक डॉ. पवन कुमार को विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने बुधवार को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी डॉ. पवन पर 18 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। एसकेएमसीएच में भर्ती पीडिता सुनीता ने कहा कि दोषी को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। सुनीता ने मामले में फरार अन्य आरोपित डॉक्टर आरके सिंह को फांसी की सजा देने की मांग की। सकरा स्थित शुभकांत नर्सिंग होम में तीन सितम्बर 2022 को सुनीता के गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान उसकी दोनों किडनी निकाल ली गई थी। सुनीता की मां तेतरी देवी के आवेदन पर 9 सितंबर 2022 को एफआईआर दर्ज हुई तब से सुनीता डायलासिस पर जिंदा है। नर्सिंग होम संचालक सकरा के बरियारपुर निवासी डॉ.पवन को एससी/एसटी कोर्ट के जज ने बीते 7 जून को दोषी करार दिया था।

मुजफ्फरपुर की कंपनी में महिला कर्मचारियों के 'यौन उत्पीड़न' को लेकर बिहार सरकार को नोटिस

https://hindi.theprint.in/india/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE/700041/

नयी दिल्ली, 21 जून (भाषा) **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** (एनएचआरसी) ने बिहार सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को उस खबर को लेकर नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी नेटवर्क कंपनी में काम करने वाली कई महिलाओं को कंपनी के संचालक ने नशीली गोलियां दीं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

आयोग ने एक बयान में कहा कि पीड़ित लड़कियों की संख्या कथित तौर पर सौ से अधिक बताई गई है

इसने कहा कि उसने 'मीडिया में आई एक खबर का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी नेटवर्क कंपनी में काम करने वाली कई महिलाओं को कंपनी के संचालक ने नशीली गोलियां दीं, पिटाई की और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।"

बयान में कहा गया कि कंपनी के खिलाफ बिहार के विभिन्न जिलों में कथित तौर पर बड़ी संख्या में 'आपराधिक मामले' दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 'कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है।"

इसमें कहा गया कि कंपनी की बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में कई जगहों पर शाखाएं हैं।

आयोग ने कहा, "18 जून को मीडिया में आई खबर के अनुसार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज समेत बिहार के 10 से अधिक जिलों में लड़कियों का शारीरिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है।"

मुजफ्फरपुर की कंपनी में महिला कर्मचारियों के 'यौन उत्पीड़न' को लेकर बिहार सरकार को नोटिस

https://hindi.theprint.in/india/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE/700041/

नयी दिल्ली, 21 जून (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बिहार सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को उस खबर को लेकर नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी नेटवर्क कंपनी में काम करने वाली कई महिलाओं को कंपनी के संचालक ने नशीली गोलियां दीं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

आयोग ने एक बयान में कहा कि पीड़ित लड़कियों की संख्या कथित तौर पर सौ से अधिक बताई गई है

इसने कहा कि उसने 'मीडिया में आई एक खबर का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी नेटवर्क कंपनी में काम करने वाली कई महिलाओं को कंपनी के संचालक ने नशीली गोलियां दीं, पिटाई की और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।"

बयान में कहा गया कि कंपनी के खिलाफ बिहार के विभिन्न जिलों में कथित तौर पर बड़ी संख्या में 'आपराधिक मामले' दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 'कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है।"

इसमें कहा गया कि कंपनी की बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में कई जगहों पर शाखाएं हैं।

आयोग ने कहा, "18 जून को मीडिया में आई खबर के अनुसार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज समेत बिहार के 10 से अधिक जिलों में लड़कियों का शारीरिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है।"

भाषा जोहेब नेत्रपाल

मुजफ्फरपुर में लड़कियों के साथ यौन शोषण मामला: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, बिहार सरकार से मांगी रिपोर्ट

https://firstbihar.com/news/muzaffarpur-me-ladkiyon-ke-sath-shoshan-mamle-me-979938#google_vignette

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

दरअसल, सारण की रहने वाली एक युवती ने कोर्ट में परिवाद दायर कर अहियापुर स्थित डीबीआर नेटवर्किंग कपनी पर आरोप लगाया था कि पहले उसे अच्छी सैलरी देने का झांसा देकर कंपनी में ज्वाइन कराया गया और बाद में झूठी शादी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। युवती ने आरोप लगाया है कि ऐसे सिर्फ उसके साथ ही नहीं किया गया बल्कि कंपनी में काम करने वाली बड़ी संख्या में लड़कियों के साथ किया गया है।

मीडिया में खबर आने के बाद आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि नेटवर्किंग कंपनी में काम करने वाली महिलाओं ने संचालक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संचालक ने नशीली गोलियां खिलाई, उन्हें पीटा तथा शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। ऐसा 100 से अधिक लड़कियों के साथ किया गया। कंपनी के खिलाफ अलग-अलग जिलों में बड़ी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज हैं लेकिन पुलिस ने इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पाया कि रिपोर्ट्स अगर सही है तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसको देखते हुए आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि संचालक और कंपनी के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज है और उनकी जांच की क्या स्थिति है और अपराधियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा – उच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र हो पीड़िता के किडनी का प्रत्यारोपण

https://tirhutnow.com/muzaffarpur/national-human-rights-commission-said-kidney-transplant-of-the-victim-should-be-done-soon-on-high-priority-basis/

**एनएचआरसी** ने बिहार सरकार को दिया निर्देश!

_मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा की याचिका पर आयोग ने जारी किया निर्देश!_

मुजफ्फरपुर- जिले के चर्चित किडनी कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को निर्देश जारी किया है। अपने निर्देश में आयोग ने बिहार सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता के किडनी के शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा जारी किया गया है।

मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का मामला है, इस मामले में बिना विलम्ब किये हुए बिहार सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला के किडनी प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, जिससे पीड़ित महिला की जान बच सके।

विदित हो कि सुनीता किडनी कांड मामले में सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के विशेष न्यायालय द्वारा दोषी डॉक्टर को सात साल की कैद और 18,000 रूपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/national-human-rights-commission-sought-report-from-chief-secretary-dgp-in-7-days-133207451.html

चिटफंड कांड : सबूत के आधार पर होने वाली कार्रवाई की विस्तृत जानकारी मांगी

यूपी, झारखंड और दिल्ली में दबिश चिटफंड कंपनी के मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस ने दिल्ली, झारखंड, यूपी के नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, देवरिया के साथ ही हरियाणा में छापेमारी की। नेपाल के पोखरा, बुटवल, डॉग, काठमांडू में भी पुलिस जांच कर रही है। इसमें एसएसबी, नेपाल पुलिस और वहां के नागरिकों का सहयोग ले रही है। सीसीटीवी, मोबाइल फोन, होटल, गेस्ट हाउस की जांच पुलिस कर रही है। यौन शोषण के साथ ही देह व्यापार को भी आधार बना जांच कर रही है।

पटना | मुजफ्फरपुर में चिटफंड कंपनी में नौकरी का झांसा देकर लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के मामले में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि संचालक और कंपनी के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी जांच की क्या स्थिति है और अपराधियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है। रिपोर्ट में चिह्नति लोगों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। गौरतलब है कि सारण के मशरख की रहने वाली एक युवती ने कोर्ट में परिवाद दायर कर डीबीआर नेटवर्किंग कंपनी के सीएमडी मनीष सिन्हा समेत अन्य पर यौन शोषण का आरोप लगा अहियापुर थाने में एफआईआर कराई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट

https://www.bhaskar.com/local/bihar/purnia/news/national-human-rights-commission-asked-the-government-for-a-report-in-7-days-133207767.html

मुजफ्फरपुर नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस ने दिल्ली, झारखंड, यूपी के नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, देवरिया के साथ ही हरियाणा में छापेमारी की। नेपाल के पोखरा, बुटवल, डॉग, काठमांडू में भी पुलिस टीम जांच कर रही है। इसमें एसएसबी, नेपाल पुलिस और वहां के नागरिकों का सहयोग ले रही है। मुखबिर की सूचनाओं के साथ ही महत्वपूर्ण जगहों के सीसीटीवी, मोबाइल फोन, होटल, गेस्ट हाउस की जांच पुलिस कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नेटवर्किंग से जुड़े आरोपियों के परिजन, रिश्तेदार व आसपास के लोगों से पूछताछ की। हालांकि, अधिकांश लोगों का जवाब था कि उन्हें दवा और दूसरे कारोबार की जानकारी थी, लेकिन लड़कियों के यौन शोषण के बारे में जानकारी नहीं। पुलिस लड़कियों के यौन शोषण के साथ ही देह व्यापार को भी आधार बनाकर जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि नेटवर्किंग से जुड़े लोग कारोबार बढ़ाने के लिए लड़कियों का भी इस्तेमाल करते थे। पुलिस आरोपियों के ईमेल, सोशल मीडिया और संभावित बैंक खाते की भी मॉनिटरिंग कर रही है। जिससे आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिल सके।

नेटवर्किंग मामले में पुलिस एक दर्जन लोगों की तलाश कर रही है। मुख्य आरोपी तिलक कुमार सिंह को गोरखपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया है। वह सीवान के मैरवा के कोडरा गांव का निवासी है। जबकि डीबीआर कंपनी के निदेशक नोएडा निवासी मनीष कुमार सिंह, पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा के बेला निवासी एनामुल अंसारी, पूर्णिया के रोहुआ के अहमद रजा, वैशाली के हाजीपुर के विजय कुशवाहा, सीवान के कन्हैया कुशवाहा, गोपालगंज के फुलवरिया निवासी हरेराम कुमार राम, सीवान के मैरवा थाना निवासी हृदयानंद सिंह, सुपौल के लौध के मो. इरफान समेत एक दर्जन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

सुनीता को किडनी प्रत्यारोपण के लिए सरकार को मिले निर्देश

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/muzaffarpur/nhrc-given-instructions-to-the-bihar-government

सुनीता की दोनों किडनी निकालने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को जरूरी निर्देश दिये हैं.

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर सुनीता की दोनों किडनी निकालने के मामले में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने बिहार सरकार को जरूरी निर्देश दिये हैं. आयोग ने बिहार सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता की किडनी का शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने काे कहा है. यह निर्देश मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा जारी किया गया है. मामले के संबंध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का है. इस मामले में बिना देर किये सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला की किडनी प्रत्यारोपण के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए. जिससे पीड़िता की जान बच सके. बता दें कि सुनीता किडनी कांड मामले में सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के विशेष न्यायालय द्वारा दोषी डॉक्टर को सात साल की कैद व 18,000 रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.

सुनीता को किडनी प्रत्यारोपण व उपचार के लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/muzaffarpur/instructions-to-sunita-to-take-adequate

-**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने बिहार सरकार को दिये निर्देश मुजफ्फरपुर.सुनीता की दोनों किडनी निकालने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को जरूरी निर्देश दिये हैं. आयोग ने बिहार सरकार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पीड़िता की किडनी का शीघ्र प्रत्यारोपण और चिकित्सा उपचार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने काे कहा है. यह निर्देश मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग द्वारा जारी किया गया है. मामले के संबंध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का है. इस मामले में बिना देर किये सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला की किडनी प्रत्यारोपण के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए. जिससे पीड़िता की जान बच सके. बता दें कि सुनीता किडनी कांड मामले में सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के विशेष न्यायालय द्वारा दोषी डॉक्टर को सात साल की कैद व 18,000 रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.